न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3183-एक/2014 - विरूद्व आदेश दिनांक 12-8-2013- पारित द्वारा - कलेक्टर जिला मुरैना - प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 स्वमेव निगरानी

1- सतेन्द्र सिंह
2- शिवनाथ सिंह
3- प्रवलप्रताप सिंह
पुत्रगण स्व.सोवरन सिंह ठाकुर
ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामस्वरूप पाठक पुत्र मोतीराम पाठक निवासी ग्राम बड़वारी ने कलेक्टर मुरैना को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बड़वारी की भूमि सर्वे क्रमांक 1068/2 का मुंशीसिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी बड़वारी ने तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर प्रकरण क्रमांक 12/94-95 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 18-12-98 से

पट्टा प्राप्त कर लिया एंव आवेदकगण को अनुचित रूप से पट्टे की भूमि का विक्रय किया है इसलिये कार्यवाही की जावे। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-2013 से आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया। कलेक्टर मुरैना के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक को एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12/94-95 अ-19 में पारित आदेश दि. 18-12-98 से मुंशी सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम बड़वारी को विधिवत् भूमिस्वामी स्वत्व पर पट्टा प्राप्त हुआ है एंव रिकार्ड में अंकित अनुसार भूमिस्वामी मुंशीसिंह ने प्रतिफल लेकर ग्राम बड़वारी की भूमि सर्वे क्रमांक 1068/2 का विक्रय पत्र संपादित किया है। तहसील न्यायालय से विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हुआ है। यदि पट्टे में गड़वड़ी होती अथवा मुंशीसिंह वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी नहीं होता, निश्चित है तहसीलदार व्दारा विक्रय पत्र पर से नामान्तरण कार्यवाही रोक दी जाती, किन्तु तहसीलदार ने पूर्ण जांच करके विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया है। रामस्वरूप व्दारा कलेक्टर मुरैना को गलत आधारों पर आवेदन दिया है क्योंकि वह स्वयं् वादग्रस्त भूमि को खरीदना चाहता था एंव पूर्ण प्रतिफल भी नहीं दे रहा था इसलिये भूमिस्वामी मुंशीसिंह ने बाजिव दाम लेकर आवेदकगण को भूमि विक्रय की है, जबकि शिकायतकर्ता वादग्रस्त भूमि से हितबद्व नहीं है। इसलिये कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में स्वमेव निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है उनके व्दारा दिया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाय।

मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर का तर्क है कि ग्राम बड़वारी की भूमि सर्वे क्रमांक 1068/2 आवेदकगण स्वयं् पट्टे की भूमि होना स्वीकार कर रहे हैं एंव तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 12/94-95 अ-19 में पारित आदेश दि. 18-12-98 से मुंशी सिंह को पट्टा प्राप्त होना बताया जा रहा है

और जब भूमि पट्टे की है तब बिना कलेक्टर की अनुमति के अंतरण अवैध है जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि पट्टे की होने के आधार पर एंव बिना सक्षम अनुमति के विक्रय होने से कलेक्टर मुरैना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 पॅजीबद्व किया है तथा आवेदकगण को अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-2013 से कारण बताओ नोटिस देकर उत्तर मांगा है । आवेदकगण के पास कलेक्टर मुरैना के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करने ; लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है। निगरानी के माध्यम से आवेदकगण जिस अनुतोष को इस न्यायालय से प्राप्त करना चाहते है, कलेक्टर के समक्ष लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके पक्ष रखने एंव दावा प्रमाणित करने का उपचार प्राप्त हैं , जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में कलेक्टर मुरैना द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-13 अनुसार की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की करते हुये कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-2013 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर